

परिपत्र संख्या 27/12/2022

विषय : विभागीय जाँच में जाँच अधिकारियों/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को मानदेय प्रदान करना ।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1668597747466 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने पिछले सभी दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ संगठनों के कर्मचारियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय जाँच में जाँच अधिकारियों और प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को दिए जाने वाले मानदेय की संशोधित दरें जारी की है । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देश जाँच अधिकारी/ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे सेवारत /सेवानिवृत्त लोक सेवकों पर लागू होते हैं ।

3. विभागीय जाँच के लिए जाँच अधिकारी /प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के नियुक्ति आदेश जारी करते समय, संबंधित संगठनों में संबंधित प्राधिकारी दरों की संरचना को ध्यान में रखते हुए जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित है, विधिवत प्रक्रिया का पालन करके मानदेय तय कर सकते हैं । जाँच अधिकारियों /प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को नियुक्ति आदेश के साथ इसकी सूचना भी दी जाए ।

4. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डीओपीटी-1668597747466 की प्रति संलग्न है । मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सतर्कता अधिकारी इसे अपने संबंधित संगठनों के सभी प्राधिकारियों /अधिकारियों के संज्ञान में लाएं ।

हो/-
(राजीव वर्मा)
निदेशक

संलग्न :- उपर्युक्त अनुसार

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. सीपीएसयू /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/स्वायत्त निकाय आदि के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3. भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों/ सीपीएसयू/ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों/ स्वायत्त निकाय इत्यादि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट